

-2021 पत्रावली केशा हुई रुक-रुक कर तीन
बार आज्ञा दिवारी गई न तो अग्निभाषक
उपस्थित हैं जोर न ही पक्षकारान पत्रावली
मई 2011 से लगातार साक्ष्य में चल रही है
ऐसी स्थिति में न्यायालय इस पत्रावली
को आगे जैकार खरना उचित नहीं
समझता है अतः पत्रावली अदम लजरी
अदम पेशी में खारिज की जाती है
पत्रावली केवल शुमार लेकर नम्बर से
काम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 4-1-2021 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

रूप सण्ड अधिकारी
भागरोल जिला बार् (राज०)

